शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 08.10.2024
थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयबी,
तिलहर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले अभियुक्त विजय को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, अवैध शराब, चोरी , लूट , डकैती, गौ तस्कर , बरामदगी अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ व वांछित अपराधी व वारन्टी की गिरफ्तारी के क्रम मे थाना तिलहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 598/24 धारा 69/115(2)/76/82 बी0एन0एस0 के अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम भेदपुर थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 27 वर्ष को आज दिनांक 08.10.2024 को समय करीब 09.47 बजे भक्सी तिराहा के पास स्थित यात्री प्रतिक्षालय से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को मुकदमा वादिनी रिंकी(काल्पनिक नाम) थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर की तहरीर के आधार थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 598/24 धारा 69/115(2)/76/82/123 बी0एन0एस0 बनाम 01. विजय कुमार पुत्र राम निवास 02. हरपाल 03. अजय उर्फ रिंकू पुत्रगण राम निवासीगण ग्राम भेदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध बाबत अभियुक्त विजय उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी रिंकी(काल्पनिक नाम) से बार – बार गलत काम करते रहना प्रार्थिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर लात घूसो व डण्डो से मारपीट करना तथा नशीला पदार्थ खिलाकर आर्य समाज मन्दिर मे जबरदस्ती शादी कर लेना व वीडियो वायरल करने की धमकी देना व विजय द्वारा दूसरी शादी कर लेना तथा विरोध करने पर अभियुक्त विजय के भाई हरपाल व अजय उर्फ रिंकू के द्वारा वादिनी के साथ बुरा काम करने की नियत से पकडकर गिरा देना, मारपीट करना व कपडे फाड देने के संबंध मे पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त की गम्भीरता को देखते हुए मुकदमा उपरोक्त की विवेचना निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा की गई तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम भेदपुर थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 27 वर्ष को आज दिनांक 08.10.2024 को समय करीब 09.47 बजे भक्सी तिराहा के पास स्थित यात्री प्रतिक्षालय से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

➢ पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

1. मु0अ0सं0 598/24 धारा 69/115(2)/76/82 बी0एन0एस0 थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. विजय कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम भेदपुर थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 27 वर्ष।

➤ **पूछताछ विवरण :-** गिरफ्ताशुदा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम भेदपुर थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 27 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मै शाहजहांपुर मे अपनी पढाई कर रहा था तभी मेरी मुलाकात रिंकी(काल्पनिक नाम) से हुयी थी नगला हाजी की दूरी मेरे गाँव से मात्र एक देढ़ किमी0 की है। आपस मे बात चीत करते हुए हम दोनो मे दोस्ती हो गयी , रिंकी(काल्पनिक नाम) ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार नही करते है एवं उसने अपनी तमाम परेशानियाँ मुझसे साझा की मैने रिंकी(काल्पनिक नाम) को अपनी क्षमता अनुसार हर तरह से मदद की रिंकी(काल्पनिक नाम) ने मुझसे वादा किया कि हम लोग आपस मे शादी कर लेते है। तब दिनांक 25.10.23 को आर्य समाज मन्दिर महावीर गंज अली गंज लखनऊ मे हम लोगो ने शादी कर ली थी शादी के बाद रिंकी(काल्पनिक नाम) का मेरे प्रति नजरिया एक दम बदल गया वह मुझ पर दवाव डालने लगी कि तुम्हारे पिता के नाम सड़क के किनारे जो जमीन है वह अपने हिस्से की मेरे नाम करा दो जिससे मै अपने को सुरक्षित महसूस करूंगी एवं रिंकी(काल्पनिक नाम) द्वारा दामपत्य जीवन का कोई फर्ज पूरा नही किया गया मैने हिम्मत करके कहा कि जब हम लोगो ने शादी कर ही ली है तो तुम भी अपने परिवार को बता दो और मै भी बता देता हूँ और मेरे घर चल कर रहो जिस पर रिंकी(काल्पनिक नाम) राजी नही हुई बोली कि हम दोनो के परिवार मे किसी को कानो कान खबर नही होनी चाहिए कि हम लोगो ने शादी कर ली है। रिंकी(काल्पनिक नाम) की हमसे पैसे की मागं लगातार बढती जा रही थी और वह मेरा बिल्कुल भी सम्मान नही करती और माँ वहिन की गन्दी गन्दी गाली देती है मेरे मन मे कई बार आत्म हत्या करने का विचार आया लेकिन मै अपने बूढे माता पिता का ख्याल करके ऐसा कदम नही उठाया मैने स्नेहा से कहा कि मै मेरे माता पिता मेरी शादी करने की तैयारी कर रहे है मै उन्हे कुछ बता नही पा रहा हूँ बताओ क्या करना है तो रिंकी(काल्पनिक नाम) ने कहा कि तुम्हे शादी करने से कौन रोक रहा है तुम शौक से अपनी शादी करो फिर मैने अपने माता पिता व परिवार की मर्जी से अपनी शादी मोनिका से सामाजिक तौर पर कर ली। जो इस समय मेरी पत्नी है और मेरे घर पर मौजूद है। साहब मैने कभी भी स्नेहा के साथ मारपीट नही की और न ही उसका कोई जेवरात मेरे पास है और न ही उसके कोई शैक्षिक दस्तावेज मेरे पास है मैने रिंकी(काल्पनिक नाम) के व्यवहार से बेहद परेशान होकर अपनी दूसरी शादी की है। मैने रिंकी(काल्पनिक नाम) का कभी भी कोई अश्लील वीडियो नही बनाया है। मेरा मोबाइल भी रिंकी(काल्पनिक नाम) द्वारा रिफ्रेश कर दिया गया है। साहब मैने आपको जो कुछ भी बताया है वह सब सच है।

➤ **अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-**

1. अपराध निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1313 सन्नी तोमर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर